न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–रूक्मणि रियार सिहाग आई.ए.एस.

अपील संख्याः–01/2023 अन्तर्गत धारा 16 भरण–पोषण अधिनियम

1. गुरमेल सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. जगमेल सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलाण्ट

बनाम

बलदेव कौर पत्नी श्री सुखदेव सिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 5 चक 14 एनडीआर. तहसील व हनुमानगढ।

––रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 02.02.2023 बअदालत भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ प्रकरण सं. 09/2022 अनवान बलदेव कौर बनाम गुरमेल सिंह आदि के सम्बन्ध में।

निर्णय **दिनांकः–05.07.2023**

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 व 5(2) माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया 75 वर्षीय वृद्ध व विधवा औरतजात है प्रार्थीया के चार 1 संताने क्रमशः गुरमेल सिंह, जगमेल सिंह, परमजीत कौर व सुखप्रीत कौर है। प्रार्थीया के पति सुखदेव सिंह की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीया के पति सुादेव सिंह के नाम तहसील हनुमानगढ़ के चक 12 एनडीआर पटवारी हल्का हरिपुरा के खाता संख्या 11/34 के पत्थर नंबर 159/343 मुरब्बा नंबर 9 के किला नंबर 16, 17/1/0.063, 21/2/0.228, 22/2/0. 228, 23/2/0.228, 24/2/0. 228, 25/3/0.132 कुल तादादी 1.360 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज कागजात पटवारी थी। प्रार्थीया के पति सुखदेव सिंह की मृत्यु उपरान्त अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया व प्रार्थीया की पुत्रियों परमजीत कौर व सुखप्रीत कौर के हक व हिस्सा की कृषि भूमि की दस्तबरदारी दिनांक 13.08.2013 को स्वयं के नाम करवा ली। प्रार्थीया के पति स्व० सुखदेव सिंह के नाम गांव नौरंगदेसर में मकान भी था जिस पर अप्रार्थीगण ने जबरन कब्जा कर लिया। प्रार्थीया की वृद्धावस्था का फायदा उठाते हुए प्रार्थीया को उक्त मकान से जबरन बेदखल कर दिया। प्रार्थीया के पति सुखदेव सिंह की मृत्यु उपरान्त प्रार्थीया अप्रार्थीगण के पास रह रही थी। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया से इस आश्वासन के साथ कृषि भूमि दस्तबरदारी स्वयं के हक में करवाई थी कि भविष्य में अप्रार्थीगण प्रार्थीया की सार संभाल व सेवा चाकरी करेंगे। अप्रार्थीगण प्रार्थीया के पुत्र है जो कि विवाहित है। पिछले कुछ समय से अप्रार्थीगण प्रार्थीया की सेवा चाकरी व सार संभाल नहीं कर रहे है। अप्रार्थीगण ने मारपीट कर अर्सा 15 दिवस पूर्व घर से निकाल दिया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया मजबूर होकर पारिवारिक परिचित व रिश्तेदार मलकीत सिंह पुत्र बलोर सिंह जाति जटसिख निवासी नौरंगदेसर निवास कर रही है। प्रार्थीया वृद्ध है व बीमार रहती है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया का भरण पोषण नहीं कर रहे है। प्रार्थीया के पास आय का कोई साधन नहीं है। प्रार्थीया अब स्वयं कार्य कर अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है। प्रार्थीया के पास जमीन ही आय का एकमात्र साधन है जिसे भी अप्रार्थीगण ने दबाव देकर अपने नाम करवा लिया है। प्रार्थीया दर दर की ठोकरे खा रही है। प्रार्थीया को कपड़े, खान पान, चिकित्सकीय ईलाज व आवासीय सुविधा का भी खर्च वहन करने में भी असमर्थ

है। प्रार्थीया के पास आय का कोई साधन नहीं है। अप्रार्थीगण से अपने कपड़े, खानपान, चिकित्सकीय ईलाज व आवासीय सुविधा का भी खर्च वहन करने में असमर्थ है। प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से भरण पोषण व चिकित्सकीय व आवासीय सुविधा आदि पर होने वाले व्यय की मांग की तो उन्होनें इन्कार कर दिया इत्यादि कथन करते हुए अनुतोष चाहा कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया से अपने हक में करवाई गई दस्तबरदारी दिनांक 13.08.2013 को प्रार्थीया की हद तक शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जावे व अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वे प्रार्थीया के हक व हिस्सा के मकान व प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित तहसील हनुमानगढ़ के चक 12 एनडीआर पटवारी हल्का हरिपुरा के खाता संख्या 11/34 के पत्थर नंबर 159/343 मुरब्बा नंबर 9 के किला नंबर 16, 17/1/0.063, 21/2/0.228, 22/2/0.228, 23/2/0.228, 24/2/0. 22825/3/0.132 कुल तादादी 1.360 हैक्टेयर कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे व प्रार्थीया को बेदखल करने से निषिद्ध रहे। प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से किसी भी प्रकार से शारीरिक, मानसिक व आर्थिक पीड़ा पहुंचाने व जानमाल का नुकसान पहुंचाने से निषिद्ध रहे, अप्रार्थीगण से प्रार्थीया को भरण पोषण चिकित्सकीय सुविधा व खान पान व कपड़े, आवासीय सुविधा आदि दिलवाई जाने, अप्रार्थीगण से प्रार्थीया को अन्तरिम भरण पोषण शीघ्र दिये जाने व प्रार्थीया को निवास स्थान उपलब्ध करवाये जाने का निवेदन किया गया जिस पर अप्रार्थीगण ने संयुक्त रूप से जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थीगण के पिता सुखदेव सिंह की मृत्यु होने के पश्चात हमारी माता और हमारी बहनों द्वारा पारिवारिक सहमति व स्नेहवश हम अप्रार्थीगण के पक्ष में हक त्याग किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 करीब 15 वर्षो से अलग रिहायश कर रहा है तथा पारिवादिया मुझ अप्रार्थी सं. 2 के साथ निवास करती है। परिवादिया को कभी भी मकान से बेदखल नहीं किया था ना ही मुझ अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मकान पर किसी प्रकार से कोई कब्जा किया गया है। परिवादिया मेरे साथ ही रिहायश करती है हम अप्रार्थीगण दोनो ही उनकी सेवा चाकरी करते है तथा उनकी सार संभाल व दवाई–पानी का समस्त खर्चा हमारे द्वारा ही वहन किया जा रहा है। अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीया से मारपीट नहीं की व ना ही उसे घर से बेदखल किया, ना ही वो मलकीत सिंह पुत्र बलौर सिंह निवासी नौरंगदेसर के साथ रह रही है। प्रार्थीया की देखभाल उनकी दवाई पानी का खर्चा, उनका भरण पोषण अप्रार्थीगण द्वारा ही किया जा रहा है व खान पान व कपडे आवासीय सुविधा अप्रार्थीगण द्वारा ही उपलब्ध करवाई जा रही है इत्यादि कथन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.02.2023 को आंशिक रूप से स्वीकार फरमाते हुए प्रार्थीया/रेस्पोडेंट को मूलभूत सुविधाओं यथा–रोटी, कपड़ा एवं समुचित भौतिक सुख सुविधाएं व आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने व साथ–साथ 5000/– रूपये मासिक प्रत्येक अप्रार्थीगण से प्रार्थीया को (कुल 10,000/–रूपये) दिलाये जाने के आदेश फरमाये गये तथा इस राशि को प्रार्थीया के बैंक खाता में जमा करवाये जाने का आदेश फरमाया गया। अतः अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विचारण न्यायालय का आक्षेपित निर्णय दिनांक 02.02.2023 अपास्त फरमाया

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। अपीलांट जरिये न्यायमित्र श्री भवानी सिंह निर्बाण एवं रेस्पोडेन्ट जरिये न्याय मित्र श्री नवीन कुमार मोदी वकील उपस्थित। उभय पक्ष को सुना गया।

न्यायमित्र अपीलार्थीगण द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण के पिता सुखदेव सिंह की मृत्यु होने के पश्चात अपीलार्थीगण की माता और बहनों द्वारा पारिवारिक सहमति व स्नेहवश हम अपीलार्थीगण के पक्ष में हक त्याग किया गया है। अपीलार्थी संख्या 1 करीब 15 वर्षो से अलग रिहायश कर रहा है तथा रेस्पोडेन्ट मुझ अपीलार्थी सं. 2 के साथ निवास करती है। रेस्पोडेन्ट को कभी भी मकान से बेदखल नहीं किया था ना ही अपीलार्थी संख्या 2 द्वारा मकान पर किसी प्रकार से कोई कब्जा किया गया है। रेस्पोडेन्ट अपीलार्थीगण के साथ ही रिहायश करती है। अपीलार्थीगण दोनों ही उनकी सेवा चाकरी करते है तथा रेस्पोडेन्ट की देखभाल उनकी दवाई पानी का खर्चा, उनका भरण–पोषण अप्रार्थीगण द्वारा ही किया जा रहा है व खान पान व कपडे आवासीय सुविधा अप्रार्थीगण द्वारा ही उपलब्ध करवाई जा रही है। अपीलार्थीगण ने कभी भी

रेस्पोडेन्ट से मारपीट नहीं की व ना ही घर से बेदखल किया, ना ही वो मलकीत सिंह पुत्र बलौर सिंह निवासी नौरंगदेसर के साथ रह रही है, कथन करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.02.2023 को अपास्त फरमाये जाने बाबत निवेदन किया।

न्यायमित्र रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलाण्ट के कथनों का जवाब देते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के पति सुखदेव सिंह की मृत्यु उपरान्त रेस्पोडेन्ट अपीलार्थीगण के पास रह रही थी। अपीलार्थीगण ने रेस्पोडेन्ट से इस आश्वासन के साथ कृषि भूमि दस्तबरदारी स्वयं के हक में करवाई थी कि भविष्य में अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट की सार संभाल व सेवा चाकरी करेंगे। पिछले कुछ समय से अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट की सेवा चाकरी व सार संभाल नहीं कर रहे है। अपीलार्थीगण ने मारपीट कर अर्सा 15 दिवस पूर्व घर से निकाल दिया। रेस्पोडेन्ट वृद्ध है व बीमार रहती है। अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट का भरण पोषण नहीं कर रहे है। रेस्पोडेन्ट अब स्वयं कार्य कर अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है। रेस्पोडेन्ट के पास जमीन ही आय का एकमात्र साधन है जिसे भी अपीलार्थीगण ने दबाव देकर अपने नाम करवा लिया है। रेस्पोडेन्ट को कपड़े, खान पान, चिकित्सकीय ईलाज व आवासीय सुविधा का भी खर्च वहन करने में भी असमर्थ है। अपीलार्थीगण से रेस्पोडेन्ट को अन्तरिम भरण–पोषण राशि व निवास स्थान उपलब्ध करवाया जाए एवं अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

दोनों पक्षकारों के कथनों पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 02.02.2023 अपास्त फरमाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी के कथनानुसार अपीलार्थीगण के पिता सुखदेव सिंह की मृत्यु होने के पश्चात अपीलार्थीगण की माता और बहनों द्वारा पारिवारिक सहमति व स्नेहवश हम अपीलार्थीगण के पक्ष में हक त्याग किया गया है जिसे उभय पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। रेस्पोडेन्ट अपीलार्थीगण के साथ ही रिहायश करती है, अपीलार्थीगण दोनों ही उनकी सेवा चाकरी करते है तथा रेस्पोडेन्ट की देखभाल उनकी दवाई पानी का खर्चा, उनका भरण–पोषण अप्रार्थीगण द्वारा ही किया जा रहा है, आदि कथनों को न्यायमित्र रेस्पोडेन्ट द्वारा अस्वीकार किये जाने से असत्य प्रतीत होते है। रेस्पोडेन्ट के हक हिस्सा की कृषि भूमि की दस्तबरदारी अपीलार्थीगण द्वारा स्वयं के नाम से करवाये जाने व रेस्पोडेन्ट के वृद्धावस्था के कारण अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ होने पर दोनों पुत्रों का यह नैतिक दायित्व है कि अपनी माता का भरण–पोषण करे व मूलभूत भौतिक सुख सुविधाएं व आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। उक्त विवेचनानुसार यह अपील खारिज होने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज़ की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.02.2023 उचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ को पालनार्थ लौटाया जावे। निर्णय की प्रति उभय पक्ष को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ सत्यमेव जयते

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़